भारतीय विधिक तंत्र में दिव्यांगों को प्रदत्त सवैधानिक अधिकार एवं विधिक संरक्षण के सन्दर्भ में

वैभव भंडारी

हमारे देश में अधिकांश व्यक्ति महिलाओं और दलितों के हितों के नाम पर राजनीति करते है, इन सबके बीच में देश में एक वर्ग ऐसा है, जो सदियों से पीडित रहा है, भौतिक रुप से, सामाजिक रुप से और यहाँ तक की सरकारी स्तर पर भी वह उपेक्षित ही रहा है। वह वर्ग है–दिव्यांग वर्ग। जिसके बारे में काफी कम ध्यान आर्कशित हुआ। पूरे विश्व में शायद भारत में ही दिव्यागों की सबसे ज्यादा उपेक्षा होती। भारत में भारतीय सविधान में दिव्यागों के लिए वि ोश प्रावधान किए गए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में दिव्यांगों को सम्मिलित करते हुए धर्म, जाति, रंग, लिंग व स्थान के आधार में विभेद को प्रतिबंधित किया गया है। एक दिव्यांग का बचपन में स्कूल, कॉलेज से लेकर परिपक्व होने, यहॉ तक की कार्यालय में सहकर्मी भी कहीं न कहीं नि: ाक्त होने पर उपहास उड़ाते रहते हैं। आज भी लोगों द्वारा इसका अहसास अक्सर दिव्यांगों को कराया जाता है। आखिर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से तो दिव्यांग होना नहीं चाहता है, फिर भी उसे क्यों इस बात के लिए उपहास का पात्र बनाया जाता है। आज भी एक दिव्यांग व्यक्ति को आम आदमी की तरह जीवन जीने का कोई हक नहीं है, एक दिव्यांग की शादी नहीं हो सकती है, और अगर शादी करनी है तो किसी दिव्यांग लड़की से ही होगी। एक दिव्यांग अन्य लोगों की तरह खेलकूद नहीं सकता। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अपनी मेहनत और काबिलियत के चलते कुछ हासिल भी कर लेता है, तो हमारा समाज उसे प्रोत्साहित करने की बजाए दया–करुणाभाव दिखाता है। जैसे– हाल ही मे राजस्थान न्यायिक सेवा मे एक दिव्यांग व्यक्ति द्वारा मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा में उर्तीण होने के तदुपरान्त भी उसे नियुक्ति नही दी गई, जिस पर उसे अपना हक प्राप्त करने के लिये न्यायालय में जाना पड़ा, तब जाकर न्यायिक आदे ा पर नियुक्ति पत्र जारी किया गया। वही नि: ाक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 के अनुसार केन्द्र एवं राज्य के सभी पदों मे 4 प्रति ात आरक्षण दिव्यांगजन हेतु आरक्षित किए गए है। हमारे संविधान में अगर कोई किसी को जातिसूचक शब्द कहता है तो उसे सजा तक हो सकती है। लेकिन कोई भी दिव्यांग को लंगड़ा,लूला ,अँधा ,बहरा आदि के संबोधन करता है तो उसे नाम मात्र की सजा के प्रावधान है। समाज के लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरुरत है, क्योंकि दिव्यांग होना कोई अभिशाप नहीं है। उन्हें किसी की दया की नहीं बल्कि प्रोत्साहन की जरुरत है। इसमें उनका कोई दोश नही है, मॉ के गर्भ मे ही ई वरीय प्रकृति या पोशण की कमी या अन्य कारणों से भ्रूण का उपविकास पूर्ण नही होने पर उस बच्चे में नि: ाक्तता आती है, इसमें उसका क्या दोशघ उसमे भी कुछ कर गुजरने का दम है, दिव्यांग भी किसी मामले में किसी से कम नही है, इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरणो से दिव्यागों ने समय–समय इसे साबित करके दिखा दिया है। हाल ही में ओलम्पीक खेलों में जो खिलाडी गए उनका परिणाम तथा दिव्यांगों के खेलो के परिणाम अपने आप में सिद्ध करते है कि एक दिव्यांग जो भाारीरिक रुप से पूर्ण नही होने के उपरान्त भी, वह एक पूर्ण खिलाडी के रुप में प्रतियोगिता के भाग लेता है। जिसकी बराबरी एक पूर्ण खिलाडी भी नही कर सकता। शारीरिक अक्षमता होने से, यह जरुरी नहीं की व्यक्ति मानसिक रूप से भी अक्षम है। उन्हें भी समाज में बराबरी से जीवन जीने का अधिकार है। इसी को देखते हुए श्रमिक विधि में दिव्यांगता के आधार पर किसी को नौकरी नही देने अथवा अयोग्य धोशित करने को विधि विरुद्ध बताता है।

एक दिव्यांग व्यक्ति, जिसे समाज ने समस्या के तौर पर ही देखा और समझा है। इतिहास में ऐसे बच्चों का नाम उनकी दिव्यांगता के आधार पर दर्ज मिलता है। अब नाम भले दूसरे बच्चों की तरह रखे जाने लगे हो, मगर समाज की जुबान से अपशब्द आज भी गए नहीं है। जगह–जगह ऐसी गालियाँ ही उनकी पहचान बन चुकी हैं। रुढिवादी विचाराधारा वालों की नजर में जैविक और जन्मजात विकृति के आगे यह कुछ भी नहीं। महज एक रोग, एक अभिशाप। अगर आप भी ऐसा ही सोचते है तो कृपया ठहरिए, यह रोग नहीं बल्कि एक स्थिति है। ऐसी स्थिति जो कि सामाजिक पूर्वाग्रह और तरह–तरह की बाधाओं के कारण और जटिल बना दी गई है। जवाबदेही के नाम पर उन्हें और उनके हर सवाल को मेडिकल से जोड़कर देख लिया जाता है। फिर मेडिकल में ही पुर्नवास करने–कराने की दलीलें दे दी जाती हैं। इस सम्पूर्ण घटना चक्र में उनका क्या दोश हैघ

दिव्यांग लोगों के संपूर्ण पुर्नवास पर आवाज लगाने वालों की तादाद अब भी गिनी–चुनी और अनसुनी है। हो भी क्यों न! क्योंकि वह आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर कम और कमजोर है, इसलिए बात चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजी–रोटी की हो, उनकी जगह कहीं नहीं हैं। सिर्फ कानूनी स्तर पर सविधान के अनु. 19 के तहत शिक्षा के अधिकार के तहत 18 वर्श तक के दिव्यांग को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, परन्तु आँकडे से कुछ और ही दिखाई देता है। अपने यहाँ प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र का राज है। उनके हिस्से वोट की ताकत तो है, परन्तु अन्य वर्गो की तरह राजनैतिक आरक्षण नही। इसलिए इनसे जुडे विशय किसी चुनावी घोषणापत्र में नहीं। इसलिए योजना या नीति में नहीं। इसलिए प्रशासनिक कार्यप्रणाली की पहुँच से दूर या अक्सर छूटे हुए हैं। मतलब यह कि दिव्यांगजन अब तक समाज की मुख्य धारा से कटे रहे हैं। ऐसा बने रहने के लिए मजबूरी के शिकार हुए है। एक तरफ, ऊँची कुर्सी पर बैठे साहब लोग कहते हैं कि विकास में सबका साथ चाहिए। मगर सवाल है कि उन्हें जब मौका देने के पहले ही रोक दिया जाएगा तब वह कैसे समाज में अपनी रचनात्मक भागीदारी निभा पाएंगे? यही एक सरकारी स्तर पर जो धोशणाए, योजनाए व नीतियां धोशित की जाती है। क्या वाकई सरकारी स्तर पर उसे पूर्ण कियान्वयन किया जाता है। यह एक बहुत बडी चुनौति है, हमारे प्र ाासनिक स्तर पर जिसे करने की आवश्कता है। हालाकि भारत में भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 के माध्यम से पुर्नवास का प्रयास किया गया है। परन्तु यह आज भी जमीनी स्तर पर पहुच नही सका ।

दूसरा, यह हताशा से घिरा ऐसा समुदाय है जो अपने प्रति कभी भरोसा कायम ही नहीं कर पाया। उसका कतार में सबसे आखिरी में होना स्वाभाविक है। दरअसल, दिव्यांगता को उसकी व्यापक और वास्तविकता में समझने के लिए एक जमीन चाहिए। ऐसी जमीन जिस पर दिव्यांगता के कारण और उसकी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जा सके। साथ ही उसे यह महसूस हो कि वह भी उस समाज की पिछली पक्ति मे खडा होने वाला व्यक्ति नही बल्कि उस समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 88 बी में विकलांग जनों का संबध बनाने एवं सक्षम बनाने के लिए टैक्स में अधिक छूट प्रदान की गई।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि दिव्यांगो को बेसहारा और अछूत क्यों समझा जाता है? उनकी भी दो आँखे, दो कान, दो हाथ और दो पैर हैं और अगर इनमे से अगर कोई अंग काम नहीं करता तो इसमें इनकी क्या गलती.. यह तो परिस्थितियों एवं नसीब का खेल है.. इंसान तो यह तब भी कहलायेंगे.. जानवर नहीं.. फिर इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कब तक चलेगा ? किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास खुशियों की, किसी के पास काम की तो अगर वैसे ही इनके शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक या बौद्धिक विकास में किसी तरह की कमी है तो क्या बड़ी बात है? कमी तो सबमे कुछ न कुछ है ही, कोई भगवान तो है नहीं.. तो इन्हें अलग नजरो से क्यों देखा जाए ?

अगर हम इनकी मदद करने के बारे में सोचें तो हर कोई चैन से साथ रह पायेगा, जैसे की अगर किसी के सुनने की शक्ति कमजोर है तो उसे लिप–रीडिंग यानी होठों को पढ़ने की विद्या, सिखाई जा सकती है.. इनकी आँखों का इस्तेमाल करके इन्हें सशक्त बनाया जा सकता है.. वैसी ही अगर कोई देख नहीं सकता तो उसके सुनने की शक्ति को इतना मजबूत बनाये की वो कानों से ही देखने लगे और नाक से महसूस कर ले... कोई अंग खराब है तो ऐसा पहनावा दें की वो छिप जाए और इंसान पूरे आत्मविश्वास के साथ सर उठाकर चल सके.. ऐसी कई तमाम चीजे है जिससे दिव्यांगता की समस्या को अनदेखा किया जा सकता है और दवा ओर दुआ तो दो ऐसे विकल्प है जिन पर यह दुनिया चलती है। आव कता आज इस बात की है, कि सभी स्तरों पर उसे किसी अन्य की दया पर नही बल्कि उसे भारत का नागरिक होने के नाते वे सभी सुख सुविधाए व अधिकार प्राप्त हो सके। ताकि वह किसी पर बोझ नही बल्कि आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करते हुए जीवन में अग्रणी हो सके।

वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ (2.21 प्रतिशत) दिव्यांगजन हैं, लेकिन कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हमारी आबादी का 5 प्रतिशत अधिक हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। सरकार ने भी अब दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत में 1995 के दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता) लागू होने के साथ ही उनके अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला कदम बढ़ाया गया। भारत का दूसरा कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता (यू.एन.सी.आर.पी.डी) स्वीकार करना है। साथ

ही निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 को संसद में पारित करवाकर दिव्यांगों के अधिकारों, समान सरंक्षण एवं सम्मान हेतु एक नया आयाम स्थापित करने का प्रयास किया गया।

दिव्यांगता का भाब्द की साहित्य समीक्षा

एक स्वस्थ प्राणी शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से रोगमुक्त होताहै तथा वह अपने को उपस्थित वातावरण के सापेक्ष समायोजित कर लेता है। स्वास्थ्य एवं बीमारी एक बहुआयामी परिप्रेक्ष्य है जहाँ व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के साथ–साथ अपने आस–पास के वातावरण से समायोजित होने का लक्ष्य रखता है। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक एवं बौद्विक रूप से एक दूसरे से अलग होता है। ऐसी दशा में किसी व्यक्ति विशेष की क्षमता अथवा अक्षमता उसके शारीरिक, बौद्विक एवं केन्द्रिकक्षमताओं पर निर्भर करती है। किसी भी व्यक्ति की रोग, क्षति, अक्षमता एवं निःशक्तता की स्थिति की जानकारी विभिन्न प्रकार के आंकलनों एवं विविध विषयों से संबंधित विशेषज्ञों की मदद से की जा सकती है। इस संबध में सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1980 में एक लाइनर मॉडल दिया गया जिसके अनुसार–

बीमारी (Disease)

क्षति (Impairment)

अक्षमता (Disability)

विकलांगता (Handicapped)

दिव्यांगता व्यक्ति की वह दशा होती है, जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं सम्बन्धी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में जीवन निर्वाह करने में बाधक होती है। अतः विकलांगता सामाजिक वातावरणीय स्वरूप को परिलक्षित करती है।

इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एण्ड हैण्डीकैप्ड के अनुसार– ''व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों, क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है उसे विकलांगता कहते हैं।''

दिव्यांगता क्या है ?

- अंग क्षति (Impairment)– मानसिक, शारीरिक या दैहिक संरचना में किसी भी अंग का भंग, असामान्य होना, जिसके कारण उसकी कार्यप्रक्रिया में कमी आती हो।
- अशक्तता (Disability)– अंग क्षति का उस स्थिति में होना, जब प्रभावित व्यक्ति किसी भी काम को सामान्य प्रक्रिया में सम्पन्न न कर सके।
- असक्षमता (Handicap)– इसके कारण व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका और दायित्वों का निर्वहन (आयु, लिंग, आर्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक कारकों के फलस्वरूप) कर पाने में असक्षम हो जाता है।

संयुक्त राष्ट्र समझौता

पूरे विश्व भर में, दिव्यांग लोगों को मानवाधिकारों पर वही पहुँच प्राप्त नहीं है जो अन्य लोगों को है। संयुक्त राश्ट्र का यह समझौता एक विश्वव्यापी स्तर पर दिव्यांगजन को समान मानवाधिकार प्रदान करने हेतु समझौता है। यह दिव्यांग लोगों के मानवाधिकारों को स्पष्ट करता है। यह समझौता दिव्यांग लोगों को नए मानवाधिकार नहीं देता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है, कि उनके अधिकार भी वही हैं, जो हर किसी के हैं। यह सरकारों को बताता है कि बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जाना चाहिए और किस प्रकार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांग लोगों को उनके अधिकारों तक पहुँच प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसम्बर 2006 में दिव्यांगजन हेतु समझौते को अपनाया था। इसका उद्देश्य सभी दिव्यांग लोगों के लिए समान मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, इनकी सुरक्षा करना और इन्हें सुनिश्चित करना है, और दिव्यांग लोगों की प्रतिष्ठा के लिए सम्मान का प्रचार करना है। न्यूजीलैंड सहित कई सरकारों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौते की अभिपुष्टि की है (इसका पालन करने की सहमति दी है)। समझौते का लक्ष्य दिव्यांगजन के नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक,

सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। समझौते की अभिपुष्टि करने वाली सरकारों को नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों को तुरंत ही लागू करना चाहिए। परंतु आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को वे, अधिक संसाधन हासिल करने के साथ–साथ, लागू कर सकते हैं। समझौता सरकारों को इस बात पर व्यावहारिक सूचना प्रदान करता है, कि दिव्यांग लोगों के लिए अधिकारों को किस प्रकार सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, और अन्य सेवाओं को सुलभ बनाने के निदेशन शामिल हैं, जैसे कि गतिशीलता साधन, सहायक प्रौद्योगिकी और 'ईजी रीड (आसानी से पढ़ी जाने वाली)', शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार विशेष रूप से नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार के क्षैत्र में जिंदगी का अधिकार, खतरों व आपातिक स्थितियों में सुरक्षा, कानून के आगे समान पहचान, न्याय तक पहुँच, व्यक्ति की स्वतंत्रता व सुरक्षा का अधिकार, यातना अथवा क्रूरता से, अमानवीय या अपमानजनक, व्यवहार या दंड से स्वतंत्रता, शोषण, हिंसा एवं दुर्व्यवहार से स्वतंत्रता, व्यक्ति की सत्यनिष्ठा की सुरक्षा, चलन व राष्ट्रीयता की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रूप से रहने और समुदाय में शामिल किए जाने का अधिकार, व्यक्तिगत गतिशीलता का अधिकार, अभिव्यक्ति व राय की स्वतंत्रता, और सूचना तक पहुँच, गोपनीयता के लिए सम्मान, घर व परिवार के लिए सम्मान, राजनैतिक व सार्वजनिक जीवन में सहभागिता प्रमुख बिन्दु समझौता रहे हैं। वही आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के क्षैत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास एवं वास, कार्य, रहन–सहन और सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त स्तर, सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, विश्राम एवं खेलकूद में सहभागिता समझौते के प्रमुख बिन्दु रहे है।

निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016

भारत में दिव्यांगों को सवैधानिक रुप से विशेश अधिकार प्रदत्त है। जिसके तहत भारत सरकार ने 'दिव्यांगजन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया है, जो कि पुर्व विकलांगता अधिनियम 1995 की जगह नये अधिकारों एवं प्रावधानों के साथ पारित किया गया। जो कि दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को राज्य सभा द्वारा में पारित होने हुआ। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय एवं 102 धारा हैं। समान अवसर देने, उनके अधिकारों के संरक्षण और सहभागिता के लिये, जो व्यक्ति 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग है, उसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसमें दृष्टि हीनता, दृष्टिबाध्यता, श्रवण क्षमता में कमी, गति विषयन बाध्यता, बौनापन, सेरेबल पल्सी, मस्तिश्क विमंदता, तेजाब हमला सहित 21 निःशक्ताओं को शामिल किया गया है।

•दिव्यांग व्यक्तियों को अविकलांग व्यक्तियों की तरह समान अवसर का अधिकार और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है ।

- जीवन के कार्यों में अविकलांग व्यक्तियों के बराबर पूर्ण भागीदारी का अधिकार है ।
- दिव्यांग को देखभाल और जीवन की प्रमुख धारा में उन्हें पुनर्वासित किए जाने का अधिकार है।
- दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत से बढाकर 4 प्रतिशत आरक्षण किया गया।
- अधिनियमें में 18 वर्ष तक दिव्यांगजन के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदत्त किया गया।
- दिव्यांगजन के अधिकारों का हनन होने पर भीध्र कानूनी कार्यवाही हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर विशेश न्यायालय का प्रावधान किया गया।

भारत में कानूनी रुप से दिव्यागों के लिए शिक्षा के लिए बनी विधि में, स्वास्थ्य विधि में, पारिवारिक विधि में, श्रमिक विधि में, न्यायियक प्रक्रिया में, आयकर अधिनियम में विशेश प्रावधान किए गए है।

शोधार्थी
विधि संकाय, कॅरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा

संदर्भ एवं ग्रन्थ सूचि :–

- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

- भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार
- मानसिक रुप से रुग्ण विकलांगजनों के अधिकार मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987
- राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948
- अखिल भारतीय सेवा (विशेष विकलांगता छोड़कर) विनियम, 1957
- निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016
- Convention On The Rights of Persons With Disabilities And Optional Protocol
- UNICEF. 1994. Rights of Children With Disability. UNICEF , Lucknow .
- UNICEF. What Is Disability? UNICEF, New Delhi .
- United Nations, 1994, The Standard Rules On The Equalisation of Opportunities For Persons With Disabilities.
- United Nations, 1971, Declaration On The Rights of Mentally Retarded Persons.
- United Nations, 1975, Declaration On The Rights of Disabled Persons Rajasthan State Specially Abled Persons Policy, 2012
- Rajasthan Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection Of Rights And Full Participation) Rules, 2011